

बिहार सरकार
उद्योग विभाग
राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्वद सचिवालय
द्वितीय तल, विकास भवन, बेसी रोड, पटना
E-mail: sipb Bihar16@gmail.com, Website: w.w.w.udyog.bihar.gov.in

सं० सं०-एस0आई0पी0डी0201801000016/.....
सेवा में,

दिनांक-

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

विषय- मेसर्स भारती एग्रो फूड्स, पटना द्वारा मोर, मोकाना, पटना में 06 मे० टन प्रतिवर्ष क्षमता का राईस मिल ईकाई के स्थापना हेतु प्रथम किस्त ब्याज अनुदान के रूप में कुल रू० 12,48,580/- (मात्र बारह लाख छियालिस हजार पाँच सौ अस्सी रूपए) मात्र अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश
साहस्य

उपरोक्त विषय के संबंध में कठना है कि मेसर्स भारती एग्रो फूड्स, पटना द्वारा मोर, मोकाना, पटना में 06 मे० टन प्रतिवर्ष क्षमता का राईस मिल ईकाई के स्थापना संबंधी प्रस्ताव में राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्वद की बैठक दिनांक 12.02.2018 को स्टेज-1 तथा दिनांक 18.09.2018 की बैठक में वित्तीय प्रोत्साहन विलयरेन्ता प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2016 के नियम- 7 (2) (i) में निर्दिष्ट प्रावधान के आलोक में प्रस्ताव में सक्षम प्रादेशिकर वा अनुदान भी प्राप्त है। यह ईकाई खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के अंतर्गत मोर-प्रथमिकता सूची में है।

2. बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के अंतर्गत ईकाई के उत्पादन में आने के बाद ही अनुदान दया है, अतएव राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्वद सचिवालय के कार्यालय आदेश क्रमांक-SIPB201801000016/1450 दिनांक 07.12.2018 के द्वारा श्री प्रकाश टोप्पो, संयुक्त उद्योग निदेशक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना एवं महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पटना द्वारा ईकाईयों का स्थल निरीक्षण कराया गया। जांच पंजी की द्वारा उपलब्ध कराए गए स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में ईकाई को दिनांक 03.09.2016 से कार्यरत बताया गया है। ईकाई बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र है।

3. ईकाई को 04-दिसम्बर, 2016 से 29 दिसम्बर, 2016 तक प्रथम किस्त ब्याज अनुदान के रूप में कुल रू० 12,48,580/- (मात्र बारह लाख छियालिस हजार पाँच सौ अस्सी रूपए) के अनुदान की स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है-

- ईकाई न्यूनतम 5 वर्षों तक कार्यरत रहेगी। यदि 5 वर्षों के अंदर ईकाई बिना किसी औचित्य और सक्षम कारण के बंद होती है तो भुगतान की गई अनुदान की राशि 18% वक्रवृद्धि ब्याज के साथ वसूल की जाएगी।
- ईकाई द्वारा अनुदान प्राप्ति के पश्चात् 5 वर्षों तक स्थापित मशीन-उपकरण, आधारभूत संरचना, भूमि की किसी/ कौन/ हस्तांतरण किसी अन्य को नहीं किया जाएगा।
- अनुदान की गणना में छुट्टि प्राप्त होने पर अनुदान की राशि वसूल कर ली जायेगी।
- ईकाई द्वारा अनुदान प्राप्ति हेतु झूठी उपघोषणा किए जाने, उपलब्ध कराए गए कागजात के भविष्य में एलए प्राप्त होने पर भुगतान की गई अनुदान की राशि भुगतान की तिथि से 18% वार्षिक वक्रवृद्धि ब्याज के साथ वसूल की जाएगी।
- यदि ईकाई के द्वारा निर्धारित समय पर राशि वापस नहीं लीटाई जाती है तो राज्य सरकार द्वारा Public Demand Recovery Act के अंतर्गत ब्याज सहित उक्त राशि की वसूली भू-राजस्व के बकाये के रूप की जाएगी।

4. उक्त राशि का व्यय बहन राज्यादेश सं०-2060, दिनांक-11.09.18 एवं आवंटनादेश सं०-5/DI-NAffirmation-16/2018, Order No.-1480 dated-13.06.2018 के आलोक में मुख्य शीर्ष 2852 उद्योग उभ मुख्य शीर्ष 80-साक्षात् लघु शीर्ष 102-औद्योगिक उत्पादकता, मीग संख्या 23, उप शीर्ष 0160-ग्री प्रोडक्शन एवं पोस्ट प्रोडक्शन सुविधाओं की योजना विषय कोड 23-2852601020160, विषय शीर्ष 0160.33.01 राबिडो मद में चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट में उपबंधित राशि से विकल्पनीय होगा।

अंगक पृष्ठ-2

5. इस राशि के निकारी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होंगे।
6. इस राशि की निकारी नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से होगी।
7. इस राशि की निकारी पूर्व प्राप्ति रसीद पर बी० टी० सी० फार्म-25 पर की जाएगी।
8. इस राशि का भुगतान मेसर्स भारती एग्रो फूड्स को उनके भारतीय स्टेट बैंक, प्रचारक में खाता संख्या-35708226298, IFS Code-SBIN0012581 में RTGS के माध्यम से की जाएगी।

बिहार राज्यपाल के कार्यालय,

80/-

(पंकज कुमार शिह)

उद्योग निदेशक

-सह-

सदस्य सचिव, एस०आई०पी०बी०
बिहार, पटना।

दिनांक-

ज्ञापक—एस०आई०पी०बी०२०१८०१००००१६.....

प्रतिलिपि—कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनाार्थ एव आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

80/-

उद्योग निदेशक

-सह-

सदस्य सचिव, एस०आई०पी०बी०
बिहार, पटना।

दिनांक-

ज्ञापक—एस०आई०पी०बी०२०१८०१००००१६.....

प्रतिलिपि—वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनाार्थ प्रेषित।

80/-

उद्योग निदेशक

-सह-

सदस्य सचिव, एस०आई०पी०बी०
बिहार, पटना।

दिनांक-

05.08.19

ज्ञापक—एस०आई०पी०बी०२०१८०१००००१६.....

प्रतिलिपि—महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, पटना को सूचनाार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि—सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को दो प्रतियों में 10000 टी० प्रत्येक उद्योग विभाग, बिहार, पटना/ मेसर्स भारती एग्रो फूड्स, पटना को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

उद्योग निदेशक

-सह-

सदस्य सचिव, एस०आई०पी०बी०
बिहार, पटना।